न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 15.5.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
79/2022	08-02-2022	15/05/2023

बउनवान :-

01. पवन कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाटव निवासी होलीटीबा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।
02. अजयपाल सिंह पुत्र दौलतराम जाति जाटव निवासी होली टीबा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)।

----:: वादीगण

बनाम

01. दौलतराम पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. बुधराम पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
03. रामनिवास पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
04. पैरोकार राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील तिजारा जिला अलवर

----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

वादी द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम राजधौकी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। उक्त विवादित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम सहबन से दर्ज हो गया है, जोकि विधि विरूद्व एवं गलत है, जबकि वादीगण की दादी स्व0 भौति पत्नी दीनदयाल ने दिनांक 09.10.2018 को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा उक्त आराजी नम्बर में से रकबा 0.76 है0 का 1/2 हिस्सा, अज किस्म बारानी पवन कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति जाटव निवासी होलीटीबा तिजारा जिला अलवर को व 1/2 हिस्सा अजयपाल सिंह पुत्र दौलतराम पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी होलीटीबा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर को रूबरू गवाहान दिनेश कुमार पुत्र मंगतूराम सैनी निवासी सैदपुर बारका तिजारा व मामनचन्द पुत्र श्रीराम निवासी वार्ड नम्बर 4 तिजारा के समक्ष तहरीर व तस्दीक कराकर दान कर दिया है। उक्त वादीगण द्वारा उक्त दानपत्र का इंतकाल दर्ज कराने के लिए हल्का पटवारी को दे दिया था। लेकिन इस दौरान कोरोना महामारी के कारण वादीगण हल्का पटवारी से सम्पर्क नहीं कर पाये एवं उक्त विवादित आराजी का इंतकाल सहबन से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को दर्ज हो गया जो कि काबिले खारिज है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। ना ही विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी ... है। जब वादीगण को उक्त विवादित आराजी का इंतकाल होने की सूचना मिली तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से उक्त इंतकाल को खारिज कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने साफ तौर पर इंकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

एवं प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है।
01.2022 को जब वादीगण प्रतिवादीगण से मिलने उसके घर गये और उक्त विवादित आराजी
ल रद्द कराकर वादीगण के हक में दर्ज कराने की बात कही तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3
तौर पर मना कर दिया। इसलिए वादीगण द्वारा आहत होकर उक्त वाद पत्र पेश करना लाजिम
। वादीगण मुताबिक रजिस्र्ड दानपत्र उक्त विवादित आराजी का मालिकाना हक राजस्व रिकार्ड में
राने का अधिकारी है।वादीगण उक्त विवादित आराजी की घोषणात्मक डिक्री पारित कराने का
री है। अतः हकूकों की रक्षार्थ यह दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।
ण के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री पारित कर मुताबिक दानपत्र राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजी
रा नम्बर 221 रकबा 0.76 है0 का 1/2 व 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज कराने के आदेश सादिर फरमाये
।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी
0 1 लगायत 3 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में
लाई गई।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यों को दोहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो
शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। लिखित बहस पर मनन किया गया।
प्रस्तुत रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 09.10.2018 के वादीगण को भौति पत्नी दीनदयाल को दानपत्र किये हुये
है। मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 09.10.2018 के वादीगण के हकूक आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा
0.76 है0 वाके ग्राम राजधौकी तहसील तिजारा में निहित है एवं वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य
पाया जाता है।

अतः वादी की वाद डिक्री किया जाकर वाके ग्राम राजधौकी तहसील तिजारा जिला अलवर के हाल
खसरा नम्बर 221 रकबा 0.76 है0 का वादी संख्या 1 को 1/2 भाग एवं वादी संख्या 2 को 1/2 भाग पर
नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खसरा नम्बर पर दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3
के नाम हजफ किये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर
79 / 2022

तारीख दायर
08–02–2022

तारीख फैसला

पवन कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाटव निवासी होलीटीबा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।
अजयपाल सिंह पुत्र दौलतराम जाति जाटव निवासी होली टीबा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)।

––––:: वादीगण

बनाम

01. दौलतराम पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. बुधराम पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
03. रामनिवास पुत्र दीनदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
04. पैरोकार राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील तिजारा जिला अलवर

––––:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

वाके ग्राम राजधौकी तहसील तिजारा जिला अलवर के हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 0.76 है० का वादी संख्या 1 को 1/2 भाग एवं वादी संख्या 2 को 1/2 भाग पर नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खसरा नम्बर पर दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम हजफ किये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी तिजारा